सीमाशुल्क

टिप्पण : *(क) "सीमाशुल्क" से सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 के अधीन उद्गृहीत शुल्क अभिप्रेत है।*

(ख) "सीवीडी" से सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम 1975 की धारा 3 के अधीन अतिरिक्त सीमा शुल्क अभिप्रेत है।

जब तक अन्यथा विनिर्दिष्ट न हो, परिवर्तन तुरन्त प्रभावी होंगे।

सीमाशुल्क के विषय में मुख्य प्रस्ताव निम्नलिखित हैं:

क. शिक्षा उपकर

भारत में आयात की जाने वाली मदों पर शिक्षा उपकर उदगृहीत किया गया है। यह ऐसे मालों पर उद्ग्रहणीय कुल सीमाशुल्क पर (सिवाय धारा 8ख और 8ग के अधीन सुरक्षा शुल्क, धारा 9 के अधीन प्रतिशुल्क और सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 9क के अधीन प्रतिपाटन शुल्क के) 2 प्रतिशत की दर से उद्ग्रहणीय है। उन मदों को, जिन पर अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं के अधीन सीमाशुल्क की बंधित दर लागू होती है इस उपकर से मुक्त रखा गया है। सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 3 के अधीन उद्ग्रहणीय अतिरिक्त सीमाशुल्क के कारण प्राप्त उपकर, जो इनपुटों और पूंजी मालों पर संदत्त है, भारत में विनिर्मित अन्तिम उत्पादों पर उपकर का भुगतान करने के लिए प्रत्यय के रुप में उपलब्ध होगा।

ख. धातुएं:

(I) निम्नलिखित धातुओं पर सीमाशुल्क को 20 प्रतिशत से घटा कर 15 प्रतिशत कर दिया गया है:-

(क) लौह मिश्र धातु

(ख) स्टेनलेस इस्पात और अन्य मिश्र धातु इस्पात, दूसरे दर्जे और त्रुटियुक्त को छोड़कर

(ग) तांबा

(घ) सीसा

(ङ) जस्ता

(च) टंगस्टन

(छ) मेग्निशियम

(ज) कोबाल्ट

(झ) कैडमियम

(ञ) टाइटेनियम

(ट) अध्याय 81 की अन्य आधार धातुएं

(II) शीर्ष 7201 और 7203 से 7217 तक के लौह और इस्पात के सभी आंरभिक, अर्द्धनिर्मित और निर्मित रुपों जैसे पिंडों, बिल्टों, स्पांज लौह और अमिश्रातु इस्पात की ताप बेलित और शीत बेलित सलाखें/छडें/कुंडलिओं पर (दूसरी श्रेणी के और त्रुटियुक्त को छोड़कर) सीमाशुल्क को 15 प्रतिशत से घटा कर 10 प्रतिशत कर दिया गया है।

ग. खनिज

निम्नलिखित खनिजों पर सीमाशुल्क को 20 प्रतिशत से घटाकर 15 प्रतिशत कर दिया गया है:-

(क) ग्रेफाइट

(ख) अस्बेस्टस

(ग) अभ्रक

(घ) फलूरस्पर और फेल्स्पर

(ङ) जिप्सम

(च) संगमरमर, ग्रेनाइट जैसी कुछ मदों को छोड़कर अध्याय 25 के अन्य खनिज

घ. रिफ्रेक्ट्री और रिफ्रेक्ट्रियों के इनपुट

निम्नलिखित पर सीमाशुल्क 20 प्रतिशत से घटा कर 15 प्रतिशत कर दिया गया है:

(क) रिफ्रेक्ट्री

(ख) रिफ्रेक्ट्रियों के लिए कच्चा माल, उदाहरणार्थ, प्राकृतिक ग्रेफाइट चूर्ण, अल्यूमिनस सीमेंट, कैलसिंड अल्यूमिना, बोरोन कार्बाइड, प्रतिक्रियाकारी अल्यूमिना, सिलिकान धातु (99 प्रतिशत शुद्धता), माइक्रों/धूमित सिलिका; भूरा गला हुआ अल्यूमिना, गला हुआ जिरकोनिया, सिलिकान कार्बाइड, सोडियम हेक्सामेटा फास्फेट, फेनोलिक रेजिन और गला हुआ सिलिका।

ङ. भस्म और अवशिष्ट

निम्नलिखित पर सीमाशुल्क 20 प्रतिशत से घटा कर 15 प्रतिशत कर दिया गया है:

(क) जिंक स्पेल्टर/चूरा

(ख) तांबा मिल स्केल

च. उत्प्रेरक

शीर्ष 3815 के उत्प्रेरकों पर सीमाशुल्क 20 प्रतिशत से घटाकर 15 प्रतिशत कर दिया गया है।

छ. प्रतिशुल्क की छूट को वापस लेना

विनिर्दिष्ट मदों पर प्रतिशुल्क की छूट को वापस ले लिया गया है।

ज. कृषि

(1) शीर्ष 1108 के स्टार्चों पर (गेहूं या आलू स्टार्च से भिन्न) और शीर्ष 1903 के सभी मालों पर सीमाशुल्क की टैरिफ दर को 30 प्रतिशत से बढ़ाकर 50 प्रतिशत कर दिया गया है। प्रभावी दर अपरिवर्तित रहेगी।

(2) उपशीर्ष 3505 10 के उपांतरित स्टार्च पर सीमाशुल्क टैरिफ दर को 30 प्रतिशत से बढ़ाकर 50 प्रतिशत कर दिया गया है। प्रभावी दर अपरिवर्तित रहेगी।

(3) पाम तेल पर (कच्चे पाम तेल से भिन्न) सीमाशुल्क को 70 प्रतिशत से बढ़ाकर 75 प्रतिशत कर दिया गया है।

(4) विनिर्दिष्ट बागान मशीनरी को इस समय उपलब्ध 5 प्रतिशत सीमाशुल्क + शून्य प्रतिशुल्क की रियायती दर का, अन्य मशीनरी मदों, अर्थात, कॉफी पैकेजिंग मशीन, कॉफी बैगिंग मशीन, रोटरी शिफ्टर, लेटरल साइक्लोन विन्नोवर और विभाजक बाइपास पर विस्तार किया गया है। उत्पाद-शुल्क छूट के माध्यम से प्रतिशुल्क से छूट दी गई है। ये छूटें 30.4.2005 तक उपलब्ध रहेंगी।

झ. स्वास्थ्य

(1) बोलती पुस्तकों, बोलते कैल्कुलेटरों, बोलते तापमापियों, ब्रेल राइटरों, ब्रेल कम्प्यूटर टर्मिनलों जैसे पुनर्वास सहायकों को सीमाशुल्क से छूट दी गई है। प्रतिशुल्क से उत्पाद-शुल्क में छूट के माध्यम से छूट दी गई है।

(2) फोनोग्राफ और कैसेट प्लेयर, बोलती पुस्तकों को चलाने के लिए चुम्बकीय टेपों और बोलती पुस्तकों के उत्पादन के लिए कैसेटों, इलेक्ट्रॉनिक रीडिंग मशीनों, टेलिविजन एनलार्जरों, प्रकाशीय सहायकों को प्रतिशुल्क से तब पूर्णतया छूट दी गई है, जब उनका नेत्रहीनों और बधिरों की किसी संस्था द्वारा आयात किया जाए।

(3) नेत्रहीनों के लिए मूर्त साधित्र, श्रवण सहाय आदि, पर, जब इन्हें नेत्रहीन और बधिर व्यक्तियों के लिए किसी संस्था द्वारा आयात किया जाता है, आयात शुल्क छूट का लाभ लेने के लिए इन शर्तों का कि वस्तुएं या तो दान की गई हों या संदान में से क्रय की गई हों, लोप किया गया है।

(4) शारीरिकतः विकलांग रोगियों के लिए यंत्रों और अधिरोपणों, अस्थि-जोड प्रतिस्थापन, मेरुदण्डीय यंत्रों और अधिरोपण जिनमें अस्थि सीमेंट, बैसाखियां, पहिएदार कुर्सियां, टहलने के फ्रेम, तिपहियां साइकिलें, ब्रेलर, कृत्रिम अंग तथा उनके पुर्जे भी हैं, पर सीमा शुल्क में छूट दी गई है।

ञ. सूचना प्रौद्योगिकीः

(1) सेलुलर मोबाइल टेलीफोन सेवा प्रदाता को मोबाइल स्विचिंग केन्द्रों के लिए वर्तमान में उपलब्ध सीमाशुल्क छूट का विस्तार, सार्वभौमिक अभिगमन सेवा प्रदाताओं द्वारा किए गए आयातों पर किया गया है।

(2) कैथोड रे टयूबों के पुर्जों के विनिर्माण के लिए विनिर्दिष्ट कच्ची सामग्री और मोबाइल टेलीफोन हेंडसेटों, कैथोड रे टयूबों और उनके पुर्जों तथा प्लाज्मा प्रदर्श पैनलों के विनिर्माण के लिए विनिर्दिष्ट पूंजी माल को सीमाशुल्क से छूट दी गई है।

(3) दूर संचार श्रेणी के प्रकाशीय फाइबरों तथा केबलों के लिए विनिर्माण के विनिर्दिष्ट मालों पर वर्तमान में उपलब्ध सीमाशुल्क छूट कुछ अतिरिक्त विनिर्दिष्ट मदों पर विस्तारित की गई है।

ट. निर्यात संर्वधन

(1) प्लेटिनम पर सीमाशुल्क 550 रुपए प्रति 10 ग्राम से घटाकर 200 रुपए प्रति 10 ग्राम कर दिया गया है।

(2) सभी बिना तराशे रंजित रत्नों (जिसमें माणिक्य, पन्ना तथा नीलम भी है) को सीमाशुल्क से पूर्णतः छूट दी गई है।

(3) चमड़ा उद्योग में उपयोग के लिए विनिर्दिष्ट मदों के लिए वर्तमान में उपलब्ध 5 प्रतिशत सीमाशुल्क की रियायती दर भी गैस-चमड़ा जूतादि उद्योग में उपयोग के लिए अभिकल्पित ऐसी मदों के लिए बढ़ा दी गई हैं। ये मदें प्रतिशुल्क के अध्यधीन होंगी।

(4) शीर्ष 9508 के राउंडएबाउट, झूलों, निशानेबाजी दीर्घाओं तथा अन्य मेला स्थल विनोद पर सीमा शुल्क 20 प्रतिशत से घटाकर 10 प्रतिशत कर दिया गया है।

(5) पेटेन्ट चमडे को सीमा शुल्क से छूट दी गई है।

ठ. टेक्सटाइल मशीनरी

(1) विनिर्दिष्ट टेक्सटाइल और वस्त्र बनाने वाली मशीनरी पर सीमाशुल्क 20 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत कर दिया गया है। ये मदें प्रतिशुल्क के अध्यधीन होंगी। ऐसी मशीनों के विनिर्माण के लिए आयातित पुर्जों पर भी अंत-उपयोग शर्त के अध्यधीन 5 प्रतिशत सीमाशुल्क लगेगा।

(2) रेशम टेक्सटाइल उद्योग के लिए विनिर्दिष्ट मशीनरी पर सीमाशुल्क 10 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत कर दिया गया है। ये मदें प्रतिशुल्क के अध्यधीन होंगी।

ड. प्रकीर्णः

(1) सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम की पहली अनुसूची की टैरिफ मद 2922 42 20 के वर्णन को इस प्रकार संशोधित किया गया है जिससे "अजीनोमोटो" शब्द को हटाया जा सके। यह परिवर्तन वित्त (सं. 2) विधेयक, 2004 के अधिनियमन पर प्रभावी होगा।

(2) औद्योगिक वसायुक्त अम्लों तथा वसायुक्त ऐल्कोहल के विनिर्माण के लिए प्रयुक्त अखाद्य श्रेणी के औद्योगिक वनस्पति तेलों के आयात पर वास्तविक उपभोक्ता आधार पर सीमाशुल्क घटाकर 20 प्रतिशत कर दिया गया है।